TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI EXTRA ORDINARY GAZETTE
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(REVENUE DEPARTMENT)
5, SHAM NATH MARG, DELHI

F No. 7(13)/REV. ESTT./S.R/GA/97/P.F.-I/516 Dated: 2-4-2012

NOTIFICATION

In pursuance of Services Department's order No.78 dated 21.02.2012. **Sh. Yogesh Pal Singh, Grade-I (DASS)** has joined **as Tehsildar (Kotwali), District North,** on 24.02.2012(F/N). Now, therefore,

1 No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./97/(i)-In exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon **Sh., Yogesh Pal Singh, Grade-I (DASS)** the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

2 No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./97/(ii)- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon **Sh. Yogesh Pal Singh, Grade-I (DASS)** the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

3 No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./97/(iii)- In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act 1948 (Act No. 50 of 1948), as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints **Sh. Yogesh Pal Singh, Grade-I (DASS)** as Consolidation Officer in the said Territory for the purpose of the aforesaid Act, till such time as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

4 No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./97/(iv)- In exercise of powers conferred by Section 77 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954). the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon **Sh. Yogesh Pal Singh, Grade-I (DASS)** the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE Lt. GOVERNOR
OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(Kuldeep Singh Gangar)
Addl. Secretary (Revenue)

F No. 7(13)/REV. ESTT./S.R/GA/97/P.F.-I/ Dated:

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1 Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in part-IV, Delhi Extra Ordinary Gazette.
2 The Deputy Commissioner, District , North, New Delhi
3 Officer concerned through Deputy Commissioner, District , North, New Delhi.
4 The System Analyst, Revenue Department with the request to upload the notification on the website of this department.
5 P.S. to Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, Delhi.
6 Guard file.

(Rajiv Kumar)
Sub Divisional Magistrate-I (HQ)

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार
(राजस्व विभाग),
5 शाम नाथ मार्ग , दिल्ली

सं0. एफ. 7/(13) /रा. स्थ./स.र./जी0ए0/97/पी. एफ.-I/ 516 **दिनांक :** 2-4-2012

अधिसूचना

सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं0 78 दिनांक 21.02.2012 के संदर्भ में **श्री योगेश पाल सिंह, ग्रेड-1 (दास) ने दिनांक 24.02.2012 (पूर्वाह्न) को तहसीलदार (कोतवाली) जिला** - उत्तर का कार्यभार संभाल लिया है। अतः-

1. सं0.7/(13)/रा. स्थ./स.र./97/-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 की उप-धारा 27/1/बी (1887 अधिनियम सं0 17), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल **श्री योगेश पाल सिंह, ग्रेड-1 (दास)** को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं ।

2. सं0.7/(13)/रा. स्थ./स.र./97/(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तर-प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 15 की उप धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, **श्री योगेश पाल सिंह, ग्रेड-1 (दास)** को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं ।

3. सं0. 7/(13)/रा. स्थ./ .र./97/(iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी एंव विखण्डन रोकथाम) अधिनियम 1948 (1948 की अधिनियम सं0 50) की धारा 14 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, **श्री योगेश पाल सिंह, ग्रेड-1 (दास)** को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में उक्त शक्तियां व अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

4. सं0. 7/(13)/रा. स्थ./स.र./97/ (iv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 (1954 की अधिनियम सं0 12) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, **श्री योगेश पाल सिंह, ग्रेड-1 (दास)** को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर

(कुलदीप सिंह गंगर)
अति. सचिव (राजस्व)

सं0. एफ. 7/(13) /रा. स्थ./स.र./जी0ए0/97/पी. एफ.- I/ **दिनांक :**

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. उपसचिव (सा. प्रा.) रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित ।
2. उपायुक्त राजस्व , जिला - उत्तर ।
3. संबंधित अधिकारी को उपायुक्त जिला - उत्तर के माध्यम से।
4. प्रणाली विश्लेषक (System Analyst) राजस्व विभाग को इस प्रार्थना के साथ कि इस अधिसूचना को विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करें ।
5. सचिव(राजस्व)/मण्डलायुक्त के निजी सचिव, दिल्ली ।
6. गार्ड फाईल ।

(राजीव कुमार)
उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी (मु0-1)